आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांकः अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/एमआईएस/पत्रा. /प्रे. 161 जयपुर, दिनांक 29.09.2014

कार्यालय आदेश

औद्योगिक क्षेत्रों में वितरण छीजत कम करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में 11 के.वी., 33 के.वी. एवं ई.एच.वी. फीडरों पर विद्युत छीजत की लगातार निगरानी की जावें एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत छीजत 2 प्रतिशत सीमा में रखने हेतु समग्र प्रयास करते हुए निम्न कार्यवाही की जावे :-

1. औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत छीजत की निगरानी करने हेतु प्रतिमाह विद्युत छीजत की गणना के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्रों को निम्न चार श्रेणियों में विभक्त किया जावेः-

   ए – विद्युत छीजत का स्तर 2 प्रतिशत तक

   बी – विद्युत छीजत का स्तर 2 से अधिक व 4 प्रतिशत तक

   सी – विद्युत छीजत का स्तर 4 से अधिक व 6 प्रतिशत तक

   डी – विद्युत छीजत का स्तर 6 प्रतिशत से अधिक

2. सभी फीडरों पर मीटरिंग उपकरणों एवं कन्जूमर इण्डैक्सिंग की जांच 10.10.2014 तक कर ली जावें ऐसे फीडर जिनके मीटर खराब है उन्हे 15 अक्टूबर, 2014 तक बदल दिया जावे एवं जिन फीडरों पर मीटर न लगे हो उनको भी 15 अक्टूबर तक स्थापित कर दिया जावे। भविष्य में किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में 33 के.वी. का नया सब-स्टेशन स्थापित करने के साथ ही फीडर मीटर स्थापित कर कन्जूमर इण्डैक्सिंग कर ली जावे।

3. माह अक्टूबर, 2014 से संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रत्येक फीडर सहित औद्योगक क्षेत्र की विद्युत छीजत की गणना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. सहायक अभियन्ता द्वारा सभी फीडर मीटरों की साप्ताहिक जांच की जावे एवं बंद/खराब होने पर तीन दिन में ही बदलने की कार्यवाही की जावे।

5. औद्योगिक क्षेत्रों 2 प्रतिशत से अधिक विद्युत छीजत होने पर निम्न अधिकारी उत्तरदायी होगें एवं 2 प्रतिशत की सीमा में लाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगें।

फोन : (0141) 2747064 (का.) • फैक्स : (91) (141) 2747015 • ई-मेल : chairmandiscoms@jvvnl.in

- 2 प्रतिशत से अधिक होने पर सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता
- 4 प्रतिशत से अधिक होने पर अधीक्षण अभियन्ता
- 6 प्रतिशत से अधिक होने पर संभागीय मुख्य अभियन्ता

6. औद्योगिक क्षेत्रवार विद्युत छीजत कम करने के लिये किये जा रहे प्रयासों की मासिक रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मय की जा रही कार्यवाही के प्रस्तुत की जावेगी।
7. औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत छीजत के स्तर की मॉनीटरिंग हेतु सूचना का प्रारूप 'एसओएम 34 दिनांक 23.09.2014 को अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस) द्वारा ई–मेल से भिजवाये जा चुका है। प्रारूप में सूचनायें प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संभागीय मुख्य अभियन्ता/निदेशक (तकनीकी)/प्रबंध निदेशक को भेजी जावे। प्रबंध निदेशक प्रत्येक माह की 8 तारीख तक संकलित सूचना, मय की जा रही कार्यवाही अध्यक्ष डिस्कॉम्स को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8. उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप ही संबंधित अधिकारियों के कार्य की समीक्षा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में दर्ज की जावेगी।

(आर. जी. गुप्ता) 29/9
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/ अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी), जयपुर/ अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ... को अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशन हेतु ।
4. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।

29/9/2014

(टी. एस. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस.)